राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2(क)(एम–12259) अलेसे–I/1220-24 दिनांकः– 27/11/25

आदेश

निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I को उनके आवेदन के अनुसरण में अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

क्रम सं0	लिंक नं0	सहायक लेखाधिकारी का नाम	पाठ्यक्रम का नाम एवं वर्ष	संस्थान जिससे पाठ्यक्रम किया जाना है/परीक्षा आयोजक संस्था	पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	12259	श्री महेन्द्र कुमार मीणा	एम.बी.ए प्रथम वर्ष (स्वयंपाठी)	वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा	पंचायत समिति लसाडिया जिला सलूम्बर, राज0

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.11.2006 में वर्णित निम्न शर्तों के अध्यधीन होगीः–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
2. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
4. उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और उस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
7. प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

26/11/2025

(संध्या शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.2(क)(एम–12259) अलेसे–I/1220-24 दिनांकः– 27/11/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. पंचायत समिति लसाडिया जिला सलूम्बर, राज0।
2. श्री महेन्द्र कुमार मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, कार्यालय– पंचायत समिति लसाडिया जिला सलूम्बर, राजस्थान।
3. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।

(लखपत मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)